62

II/निग/संभा/2018/0730

श्री मान सदस्य महोदय, म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट रीवा म•प्र•

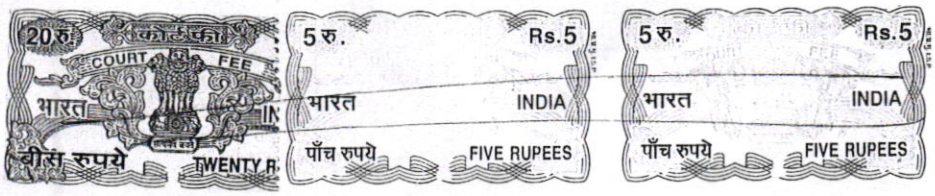

Rs 30/-

1• रामजी पिता नर्वदाराम ब्रा0 सा0 कमचद तहसील मझौली जिला सीधी म•प्र•

2• निर्मला पिता रामजीराम ब्रा0कमचद तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0

--- आवेदकगण/ निगरानीकर्ता

बनाम

1• महादेव पिता दुलारे केवट सा0 परासी तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0

2• श्रीकांत तनय सूर्यपाल द्विवेदी सा0 कमचद तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0

3• म0प्र0 शासन

----- अनावेदकगण/ गैरनिगरानीकर्तागण

अधि0 श्री राजनिवास सिंह
द्वारा पेश/25-1-18

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्र0 456/अपील/2013-14 आदेश दिनांक 30•11•2017 जिसकी सूचना 28•12•17 को हुई ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म•प्र• भू• रा• सं• 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

01- यह कि अधी0 न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

02- यह कि ग्राम कमचद मे स्थित शासकीय आराजी खसरा नम्बर 521 रकवा 0•22 ए0 के अंश रकवा 0•01 ए0 मरघट समसान की भूमि पर अवैध निर्माण किए जाने के फलस्वरूप नायब तहसीलदार मड़वास तहसील मझौली मे शिकायती आवेदन प्राप्त होने पर संहिता की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीवद्ध कर निगरानी कर्तागणों को कारण बताओ नोटिस दिया गया, एवं हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया जाकर

2 पेज पर•

निर्मला तिवारी

रामजी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी / सीधी / भू.रा. / 2018 / 730

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/4/18	आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 456 / 13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30711–2017 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि ग्राम कमचढ़ की भूमि खसरा नंबर 521 रकबा 0.22 एकड़ के अंश रकबा 0.01 ए. मरघट शमसान पर अवैध निर्माण की गलत शिकायत नायव तहसीलदार वृत्त मढ़वास तहसील मझौली को की गई। तहसीलदार ने स्वयं कोई जांच नहीं की, वरण् आवेदकगण को नोटिस देकर अर्थदंड करते हुये बेदखली के गलत आदेश दिये हैं क्योंकि निर्मित क्षेत्र पर धारा 248 लागू नहीं होती है। नायव तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी को अपील की गई परन्तु उन्होंने मौके देखे बिना तथा आवेदकगण को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना अपील खारिज करने में भूल की है। यही स्थिति अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा की रही है जिससे आवेदकगण न्याय पाने से बंचित है इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड मंगा लिया जाय एंव आवेदकगण को न्याय प्रदान किया जाय। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के कम में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 30711–17 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त ने छान–वीन उपरांत यह पाया है कि मौके पर मरघट एंव शमसान प्रयोग की है जो	

सार्वजनिक हित की होकर मध्य प्रदेश शासन की है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के अंतर्गत आरक्षित भूमि की न तो नोईयत परिवर्तित की जा सकती है और न ही ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को स्वामित्व प्राप्त होता है। नायव तहसीलदार उप तहसील मड़वास व्दारा आदेश दिनांक 24–5–13 में निकाले गये निष्कर्ष, अनुविभागीय अधिकारी अपीलीय न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 27–1–14 में निकाले गये निष्कर्ष विधिसंगत पाये गये है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 30–11–17 पारित करते समय उनमें हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समरूप होने से विचाराधीन निगरानी सारहीन है जो इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है।

सदस्य